न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी–सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर बनाम श्योनाथ,राजाराम,सुन्दर पुत्र भैरू वगै.

किस्म प्रकरण– मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–34 / 2018

GCMS No. 2018/00009

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
2.03.2021	पत्रावली पेश हुई। सचिव भूमि विकास बैंक सवाईमाधोपुर उपस्थित। सचिव भूमि विकास बैंक सवाईमाधोपुर उपस्थित। सचिव भूमि विकास बैंक द्वारा पत्र कमांक भू.वि.बैंक / 2020–21 / 495 दिनांक 2.2.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी श्योनाथ, राजाराम,सुन्दर पिसरान भैरू जाति कीर निवासी कीरपुरा तहसील सवाईमाधोपुर की ओर से बैंक की बकाया ऋण राशि चुकती जमा करवायी जा चुकी है इसलिए बैंक अब इस प्रकरण में आगे ओर कार्यवाही नही चाहता है एवं प्रार्थी बैंक की ओर न्यायालय में राज.सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व नियम 99 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विड्रा करना चाहता है। चूंकि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी बैंक अब कोई कार्यावाही नही चाहता है। ऐसी स्थिति में सचिव, भूमि विकास बैंक सवाईमाधोपुर द्वारा राज.सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व नियम 99 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.06.09 17:44:06 IST Reason: SelfAttested	